रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) /72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 1987/पौष 17, 1908

No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 1987/PAUSA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त कार्यालय
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, 31 दिसम्बर, 1986

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

निर्देश सं. आर. ये. सी. 18/86-87—अतः मुझे टी. गोरखनाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन संक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 5,00,000/– रुपये से अधिक है और जिसकी सं. भूमी है जो गुंडल पोचमपल्ली, विलेज, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेंडचल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरिति की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति में अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) जी. रामकृष्णा रेड्डी पिता बाल रेड्डी, घर नं. 11-24, बुरटोंगूडा, हकीमपेट, सिकन्दराबाद-500003. (अन्तरक)

(2) श्री जी. महेंदर रेड्डी पिता जी. रामकृष्णा रेड्डी, घर नं 11-24 बुरटोंगूडा, बोलारम, सिकंदराबाद.

(3) मेसर्स अभिशेक स्टील लि., 72, पैग कालोनी, सिकंदराबाद, रीप्रजेंटेड बाइ डायरेक्टर्सः गोपाल अगरवाल, घर नं. 72, पैगा कालोनी, सिकंदराबाद, और श्री अशोक अगरवाल पिता प्रल्हाद राइ अगरवाल, घर नं. 21-1-390, रीकाब गंज, हैदराबाद-500002. (अन्तरिति)

(को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो)

(क) इस सूचित के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्बद्धि के अन्तरिति को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्वगत पैरा के अधीन सूचना दी गई है, अक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरणः—इसमे प्रयुक्त शब्दों का जो अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 के यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिखाया है।

अनुसूची

बंजर भूमी सर्वे नं. 72 और 73, विस्त सर्ण 4 एकर, गुंडला पोचमपल्ली विलेज, मेडचल, जीला रंगारेड्डी, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मेडचल. रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 2558/86.

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 31st December, 1986

Notice Under Section 269 D [1] of the Income-Tax Act, 1961 [43 of 1961]

Ref. No. RAC. 18|1986-87.—Whereas I, T. Goraknathan being the competent authority under Section 269D of the Income-Tax Act, (43 of 1961, have reason to believe that the immovable property, having a fair marketing value exceeding Rs. 5,00,000 and bearing No. land situated at Gundla Pochampally (V) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Medchal on April 86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and the transferee (s) has not been truely stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer : and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269 D of the Income-tax Act, (43 of 1961) to the following persons, namely :—

1. Shri G. Ramakrishna Reddy, S|o Shri Bal Reddy, H. No. 11-24, Burtonguda, Bollarum, Secunderabad.
2. Shri G. Mahender Reddy, S|o Shri G. Ramakrishna Reddy, H. No. 11-24, Burtonguda, Bollarum, Secunderabad. (Transferor)
3. M|s. Abhishek Steels Limited, Office situated at No. 72, Paigah Colony, Secunderat bad-500 003, Represented by its Directors, Shri Gopal Agarwal, H. No. 72, Paigah Colony, Secunderabad, and Shri Ashok Agarwal, Son of Shri Prahlad Rai Agarwal, H. No. 21-1-390, Rikabgunj, Hyderabad-500002. (Transferee).

(Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned).

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires latter :

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meanings as given in that Chapter.

SCHEDULE

All the part of dry agricultural land bearing survey Nos. 72 and 73 admeasuring Four Acres situated at Gundla Pochampally (V), Medchal Mandal, Ranga Reddy District—registered by the Sub Registrar, Medical—vide document No. 2558|86.

निर्देश सं. आर. ये. सी. 18/86-87.—अतः मुझे टी गोरखनाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 5,00,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं. भूमि है जो गुंडला पोचमपल्ली, विलेज स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेडचल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपने के लिए सुकर बनाना।

और यत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क शब्दों में पूर्ववत सम्पत्ति में अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 41) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) जी. रामी रेड्डी (2) जी. श्रीनिवासा रेड्डी पिता श्री बाल रेड्डी, 9/69, बुरटोंगुडा, बोलारम, सिकंदराबाद; (3) श्रीमति टी. भारती, पति जनार्धन रेड्डी संतोषनगर, सइदाबाद, हैदराबाद; (4) श्रीमति वि. सुगुना, पति वि. जनार्धन रेड्डी, आलीयाबाद, हैदराबाद; (5) श्रीमति एन. स्वरुप, पति एन. मीना रेड्डी, जंगामीट्टू, फलकनूमा, हैदराबाद; (6) श्रीमति पि. वसंता, पति पि. प्रताप रेड्डी बोडुपाल, मेडचल तालूक. (अन्तरक)

मैसर्स अभिशेक स्टील लि. 72 पैग कालोनी, सिकंदराबाद, रीप्रजेंटेड बाई गोपाल आगरवाल, पिताश्रिआबन आगरवाल, रेसीडेंस 72, पैगकालोनी, सिकंदराबाद (2) अशोक आगरवाल, पिता प्रल्हाद राई आगरवाल रेसीडेंस नं. 21-1-390, रीकाबगंज, हैदराबाद-500002. (अन्तरिती).

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववत पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों का जो अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 के यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिखाया है।

अनुसूची

बंजर भूमि, सर्वे नं.—71 और 72, विस्तीर्ण 4 एकर, गुंडला पोचमपल्ली, विलेज, मेडचल, मंडल रंगा रेड्डी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 2559/86 रजिस्ट्रीकर्ता जिला अधिकारी, मेडचल।

Ref. No. R.A.C. 18|1986-87.—Whereas, I, T. Goraknathan being the competent authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000 and bearing No, land situated at Gundla Pochampalli (V) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Medchal on April 86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truely

stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), to the following persons, namely:—

Transferors :

1. Shri G. Rami Reddy.
2. Shri G. Sreenivasa Reddy.
   Sons of late Shri Bal Reddy, 9/89, Burton-guda, Bolaram, Secunderabad.
3. Smt. T. Bharathi, W/o Shri Janardhan Reddy, Santosh Nagar, Saidabad, Hyderabad.
4. Smt. B. Suguna, W/o Shri B. Janardhan Reddy, Aliabad, Hyderabad.
5. Smt. N. Swaroopa, W/o Shri N. Meena Reddy, Jangameetu, Falakunma, Hyderabad.
6. Smt. P. Vasantha, W/o Shri P. Pratap Reddy, Bodduppal, Medchal Taluk.

Transferees :

M/s. Abhishek Steels Limited, Office situated at 72. Paigah Colony, Secunderabad-500003.
Represented by :

1. Shri Gopal Agarwal, S/o Shri Bindraban Agarwal, Resident of No. 72, Paigah Colony, Secunderabad.
2. Shri Ashok Agarwal, S/o Shri Prahalad Rai Agarwal, Resident of No. 21-1-390, Rikab Gunj, Hyderabad-500 002.

(Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned,

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires latter :

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meanings as given in that Chapter.

SCHEDULE

All the part of dry agricultural lands bearing part of survey Nos. 71 and 72 admeasuring four acres situated at Gundla Pochampally Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District—registered by the Sub Registrar, Medchal—vide document No. 2559/86.

निर्देश सं. आर.ये.सी. 18/86-87 :— अतः मुझे, टी. गोरखनाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 5,00,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं. भूमि है, जो गुंडला पोचमपल्ली विलेज स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेडचल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रकृत विलेख के अनुसार अन्तरिती को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और तय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति में अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं अनयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा. जी. बालकृष्णा रेड्डी पिता भूतपूर्व जी. बाल रेड्डी 9/103/2, बुरटोंगुडा, बोलारम, सिकंदराबाद (अन्तरक)

2. मैसर्स अभिशेक स्टीलस लि., पैग कालोनी, सिकंदराबाद-500003 रीप्रजेंटेड बाइ डायरेक्टर्स श्री गोपाल अगरवाल पिता श्री बिंद्राबन अगरवाल, रेसीडेंट नं. 72, पैग कालोनी, सिकंदराबाद-500003, और श्री अशोक अगरवाल पिता श्री प्रह्लाद राइ अगरवाल, घर नं. 21-1-390 रीकाबगंज, हैदराबाद-500002 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्बन्धी के अन्तरिती को दी जाएगी ;

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्वोक्त पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों का जो अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिखाया है।

अनुसूची

बंजर भूमि सर्वे नं. 71, विस्तीर्ण 2 एकर, गुंडला पोचमपल्ली विलेज, मेडचल मंडल, रंगा रेड्डी जिला, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 2590/86, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मेडचल।

Ref. No. R.A.C. 18/1986-87.—Whereas, I, T. Goraknathan, being the competent authority under Section 269D of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000 and bearing No. land situated at Gundla Pochampally (V) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Medchal on April 86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)—

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

1. Dr. G. Balakrishna Reddy, S/o late G. Bal Reddy, 9/103/2, Burtonguda, Bolaram, Secunderabad. (Transferor)

2. M/s. Abhishek Steels Limited, Office situated at 72, Paigah Colony, Secunderabad-500003. (Transferee)

Represented by its Directors, Shri Gopal Agarwal, S/o Shri Bindraban Agarwal, Resident of No. 72, Paigah Colony, Secunderabad-500003.

Shri Ashok Agarwal, Son of Shri Prahlad Rai Agarwal, H. No. 21-1-390, Rikab Gunj, Hyderabad-500 002.

(Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned).

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires latter :

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meanings as given in that Chapter.

SCHEDULE

All the part of dry agricultural land bearing part of survey No. 71, admeasuring two acres situated at Gundla Pochampally (V), Medchal Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, registered by the Sub-Registrar, Medchal-vide document No. 2590/86.

निर्देश सं. आर.ए.सी. 18/86-87 :—अतः मुझे, टी. गोरखनाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 5,00,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं. भूमि है, जो गुंडला पोचमपल्ली विलेज, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेडचल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति में अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. जी. रामा रेड्डी पिता बाल रेड्डी और 2. जी श्रीनिवास रेड्डी पिता रामी रेड्डी, घर नं. 9-89, बुरटोंगुडा, सिकंदराबाद, (3) टी. भारती पति टी. जनार्धन रेड्डी, संतोषनगर कॉलोनी, हैदराबाद (4) श्रीमती बि. सुगुना पति बि. जनार्धन रेड्डी, मालीवाबाद, हैदराबाद (5) श्रीमति यन. स्वरुपा पति श्री भीमा रेड्डी, जंगमेटहु, फलकनूमा, हैदराबाद। (6) श्रीमती पि. बसंता पति पि. प्रताप रेड्डी, बोडूपल, मेडचल तालुक, जिला रंगा रेड्डी। (अन्तरक)

मेसर्स अभिषेक स्टील लि., 72 पैग कॉलोनी, सिकंदराबाद-500003। रीप्रजेंटेड बाइ गोपाल अगरवाल पिता बिद्राबन अगरवाल, नं. 72, पैग कॉलोनी, सिकंदराबाद, श्री अशोक अगरवाल पिता प्रहलाद राइ अगरवाल, घर नं. 21-1-390, रीकाब गंज, हैदराबाद-500002। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि, कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा संबंधी के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्वोक्त पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों का जो अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंजर भूमि विस्तीर्ण 4 एकड़, सर्वे नं. 71 और 72, गुंडला पोचमपल्ली विलेज, मेडचल मंडल, जिला रंगा रेड्डी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 2593/86, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मेडचल।

Ref. No. RAC 18|1986-87.—Whereas, I, T. Goraknathan being the competent authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000 and bearing No. land situated at Gundla Pochampally (V) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Medchal on April 86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer : and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (I) of Section 269 D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:

Transferors :

1. Shri G. Rami Reddy, S|o Shri Bal Reddy H. No. 9-89, Burgon.
2. Shri G. Sreenivasa Reddy, Son of Shri Rami Reddy guda, Secunderabad.
3. Smt. T. Bharathi, W|o Shri T. Janardhana Reddy, Santoshnagar Colony, Hyderabad.
4. B. Suguna, W|o Shri B. Janardhan Reddy, Aliabad, Hyderabad.
5. Smt. N Swaroopa, W|o Shri Meena Reddy, Jangamettu, Falaknuma, Hyderabad.
6. Smt. P. Vasantha, W|o Shri PP. Pratapa Reddy, Bodduppal, Medchal tk. Dist. R.R.

Transferees :

M|s. Abhishek Steels Ltd., Office situated at 72, Paigah Colony, Secunderabad-500003.

Represented by :

1. Shri Gopal Agarwal, Son of Shri Bindraban Agarwal, No. 72, Paigah Colony, Secunderabad.
2. Shri Ashok Agarwal, Son of Shri Prahlad Rai Agarwal, H. No. 21-1-390, Rikab Gunj, Hyderabad-500 002.

(Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned).

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later :

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meanings as given in that Chapter.

SCHEDULE

All the part of dry agricultural lands bearing part of Survey Nos. 71 and 72 admeasuring Four Acres situated at Gundia Fochampally Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District - registerel by the Sub Registrar, Medchal - vide document No. 2593|86.

निर्देश सं. आर.ये.सी. 18/86-87 :—अतः मुझे टी. गोरखनाथम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 5,00,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं. भूमि है, जो गुंडला पोचमपल्ली विलेज, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेडचल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति में अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं ।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. जी. रामकृष्णा रेड्डी पिता बाल रेड्डी
घर नं. 11-24, बुरटोंगुडा, बोलाराम, सिकंदराबाद

2. श्री जी. महेश्वर रेड्डी पिता जी. रामकृष्णा रेड्डी, घर नं. 11-24, बुरटोंगुडा, बोलाराम सिकंदराबाद । (अन्तरक)

3. मैसर्स अभिशेक स्टील लि., 72, पैग कॉलोनी, सिकंदराबाद, द्वारा डायरेक्टर, गोपाल अगरवाल [पिता बिंद्राबन अगरवाल, और अशोक अगरवाल पिता प्रल्हाद साई अगरवाल, घर नं. 21-1-390, रिकाब गंज, हैदराबाद-500002 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य

व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर से किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा संबंधी के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्वगत धारा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों का जो अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिखाया है ।

अनुसूची

बंजर कृषि भूमि सर्वे नं. 72 और 73, विस्तीर्ण 4 एकड़, और 10 गुंठे गुंडला, पोचमपल्ली, मेडचल, जिला रंगारेड्डी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 2594/86, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मेडचल ।

टी. गोरखनाथन, सक्षम अधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त) निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद ।

तारीख : 31-12-1986

Ref. No. RAC 18/1986-87.—Whereas, I, T. Goraknathan being the competent authority under Section 269-D of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000 and bearing No. land situated at Gundla Pochampally (V) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Medchal on April 86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and the transferee (s) has not been truely stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby initiate proceeidngs for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

Transferors :

1. Shri G. Ramakrishna Reddy, S/o Shri Bal Reddy, H. No. 11-24, Burtonguda, Bolaram, Secunderabad.

2. Shri G. Mahender Reddy, S/o Shri G. Ramakrishna Reddy, H. No. 11-24, Burtonguda, Bollaram, Secunderabad.

Transferees:

M/s. Abhishek Steels Limited, Office at 72, Paigah Colony, Secunderabad-500 003.

Represented by its Directors, Shri Gopal Agarwal, S/o Shri Bindraban Agarwal, H. No. 72, Paigah Colony, Secunderabad, and Shri Ashok Agarwal, S/o Shri Prahlad Rai Agarwal, No. 21-1-390, Rikab Gunj, Hyderabad-500 002.

(Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned).

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later :

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meanings as given in that Chapter.

SCHEDULE

All the part of dry agricultural land bearing survey Nos. 72 and 73 admeasuring Four Acres and Ten Guntas (4—10) situated at Gundla Pochampally (V), Medchal Mandal, Ranga Reddy District-registered by the Sub Registrar, Medchal-vide document No. 2594/86.

T. GORAKNATHAN, Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)
Date : 31-12-1986
Seal
Hyderabad

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987